.यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 09/2015 से माह 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.07.2017 से 29.07.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी0 पी0 सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एफ0 आर0 खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.09.2015 से 23.09.2015 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2012 से माह 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के शैक्षिक, सामाजिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।

3. (ii) **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–**

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	70.80	70.48	0.32	1177.77	1175.89	1.88
2015-16	Nil	Nil	91.50	84.69	6.81	42.60	42.08	0.52
2016-17	Nil	Nil	112.81	94.84	17.97	721.44	715.26	6.18

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2014–15			2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
अनुसूचित जनजाति उप योजना	00	139.60	139.60	00	00	00	00	00	00
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता	00	00	00	00	346.57	346.57	00	558.63	558.63

(iii) इकाई को बजट आबंटन **उत्तराखण्ड शासन** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, जनजाति कल्याण ⟶अपर निदेशक, जनजाति कल्याण ⟶ संयुक्त निदेशक, जनजाति कल्याण

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **कार्यालय निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देषों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। बालिका छात्रावास, लखवाड धनपौ का निर्माण कार्य, देहरादून में निर्माणाधीन जनजातीय रिसर्च संस्थान, कौशल विकास योजना, आवासीय विद्यालय गोठी, लेपटाप वितरण योजना आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाए) का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये अधिक व्यय (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए) के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तरः1. निर्माण से पूर्व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं बनाये जाने तथा आवश्यकता की स्वीकार्यता न होने के कारण धनराशि रु0 75.68 लाख की लागत से निर्मित बालिका छात्रावास भवन विगत 07 वर्षो से अनुपयोगी पडे रहना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 29 के अनुसार किसी निर्माण कार्य के कार्यान्वयन, जिसमें अधिप्राप्ति की योजना भी सम्मिलित है, के लिए सर्वप्रथम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाया जाना चाहिए तथा आवश्यकताओं की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः1381-XVII(1)/05-04(02)/2004 दिनांक 01 दिसम्बर 2005 के द्वारा जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र ग्राम लखवाड (धनपौ) में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं हेतु 50 बालिका के क्षमता की छात्रावास के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम देहरादून द्वारा गठित आगणन रु0 89.48 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त धनराशि रु0 76.25 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही प्रथम किस्त के रुप में रु0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। शासन द्वारा पुनः शासनादेश संख्याः 842-XVII(1)/2006-04(02)/ 2004 दिनांक 01 अगस्त 2006 के द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रु0 97.70 लाख के सापेक्ष रु0 90.25 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी तथा शासनादेश दिनांक 20 मार्च 2009 के द्वारा छात्रावास भवन निर्माण की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रु0 40.25 लाख अवमुक्त की गयी। उपरोक्त निर्माण कार्य 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार से वित पोषित था।

सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य जुलाई 2006 में प्रारम्भ कर मार्च 2010 में पूर्ण कर लिया गया था तथा आगणन में सम्मिलित श्रेणी–।। के 01 आवास एवं श्रेणी–। के 03 आवासों के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि भू–धसाव की परिधि में आने के कारण इनका निर्माण नहीं किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण न किये जाने के कारण उससे सम्बन्धित धनराशि रु0 13.43 लाख विभाग को दिनांक 22.08.2015 को वापस कर दी गयी। छात्रावास के निर्माण पर कुल धनराशि रु0 75.68 लाख का व्यय किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा माह जून 2011 से छात्रावास भवन के हस्तान्तरण हेतु लगातार विभाग से अनुरोध किया जा रहा था। विभाग द्वारा बालिका छात्रावास भवन का हस्तान्तरण दिनांक 22.11.2014 को प्राप्त किया गया था।

आगे जॉच में पाया गया कि अगस्त 2010 से निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून से नवनिर्मित बालिका छात्रावास को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किये जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा था लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। उसके बाद शासन के पत्र दिनांक 05 अक्टूबर 2010 के निर्देशों के अनुपालन में वीरान पडे छात्रावास भवन में राजकीय महिला आई. टी. आई. खोले जाने के लिए निदेशालय के पत्र

दिनांक 20 नवम्बर 2010 के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया परन्तु शासन से अनुमति वर्तमान तक अप्राप्त था। पुनः शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर 2016 के द्वारा नवनिर्मित छात्रावास भवन जो वर्तमान तक अनुपयोगी पडा था, उसमें बालिका छात्रावास संचालित किये जाने हेतु शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त छात्रावास के रख रखाव आदि पर आने वाला व्यय एवं पदों आदि का सृजन शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं उनकी आवश्यकतानुसार किया जाएगा। तद्नुसार शासन के निर्देशों के क्रम में निदेशालय द्वारा भवन हस्तान्तरित किये जाने हेतु दिनांक 21 नवम्बर 2016 को चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया तथा समिति ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निर्देशों के क्रम में भवन के निकट स्थित राजकीय इण्टर कालेज, लखवाड कालसी का भ्रमण किया गया। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2017 एवं 19.07.2017 के माध्यम से समिति को अवगत कराया कि वर्तमान में हमारे विद्यालय में अध्ययन व अन्य अनुसंगिक क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। छात्र संख्या भी केवल 114 है तथा उक्त छात्रावास भवन विद्यालय के मुख्य भवन से ऐसे स्थान पर स्थित है जो कि विद्यालय से अलग है। उपरोक्त कारणों से सम्बन्धित बालिका छात्रावास की विद्यालय को आवश्यकता नहीं है इसलिए हस्तगत किया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त नवनिर्मित छात्रावास भवन को शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के लिए स्थानीय ग्राम प्रधान तथा ग्रामवासी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.07.2014 द्वारा आपत्ति जताई गयी थी साथ ही उक्त भवन का उपयोग जनजाति की छात्राओं के छात्रावास हेतु ही समाज कल्याण विभाग द्वारा ही संचालित किये जाने के लिए अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त बालिका छात्रावास भवन के निर्माण से पूर्व विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं बनाये जाने तथा आवश्यकता की स्वीकार्यता न होने के कारण मार्च 2010 में पूर्ण की गयी बालिका छात्रावास भवन विगत 07 वर्षो से अनुपयोगी पडा है तथा उस पर किया गया व्यय रु0 75.68 लाख निरर्थक रहा।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है यद्यपि शासन के निर्देशों के क्रम में छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। यह भी अवगत कराया कि बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य करने से पूर्व किसी भी सर्वे/निरीक्षण की सूचना पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही तत्समय राजकीय इण्टर कालेज लखवाड में पंजीकृत छात्राओं, किराए के मकानों में रहने वाली छात्राओं की संख्या अथवा अपने सगे सम्बन्धियो के यहॉ रह शिक्षा ग्रहण कर रही थी, की संख्या सम्बन्धी विवरण भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि बालिका छात्रावास के निर्माण किये जाने के पूर्व कोई योजना नहीं बनायी गयी थी।

अतः विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं बनाये जाने तथा आवश्यकता की स्वीकार्यता न होने के कारण धनराशि रु0 75.68 लाख की लागत से मार्च 2010 में पूर्ण की गयी बालिका छात्रावास भवन विगत 07 वर्षो से अनुपयोगी पडे रहने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः1. अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन किये बिना कार्यदायी संस्था का चयन करने तथा वित्तीय मानकों के विपरीत प्राप्त धनराशि को लैप्स होने से बचाने के लिए दूसरे विभाग को आवंटित कर रु0 139.598 लाख का अनियमित रुप से व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल 2012 के अध्याय 12, बजट के सापेक्ष वास्तविक निगरानी और व्यय पर नियंत्रण के प्रस्तर 92 (I & ii) एवं प्रस्तर 93 के अनुसार नियंत्रक/संवितरण अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् है;

- वित्तीय औचित्य के मानकों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि अपने नियंत्रण में रखी गयी अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए व्यय हो जिसके लिए आवंटित हो।
- स्वयं और अपने अधीनस्त के द्वारा सभी वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन करें।
- संवितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय करने के लिए प्रारम्भिक शर्तो को संन्तुष्ट करता हो अर्थात सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त हो और व्यय की जाने वाली धनराशि उसके नियंत्रण में हो।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 61 (3) के अनुसार रुपये 50.00 लाख से अधिक आंगणित मूल्य के कार्य/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु अभिरुचि की अभियुक्ति/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (ई.ओ.आई./आर. एफ.पी.) के माध्यम से द्वि–निविदा प्रणाली (टू–बिड सिस्टम) अपनाया जाए।

निदेशक, जनजाति कल्याण कार्यालय की अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के कौशल विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 09 मई 2013 के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तैयार धनराशि रु0 197.98 लाख का प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जिसके अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए अपने पत्र दिनांक 19.03.2014 के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि निर्गत की गयी;

क्र.सं0	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थी की संख्या	धनराशि (रु0 लाख में)
1	Sheet metal Component Fabrication	100	30.40
2	Fitter cum Turner	100	30.40
3	Welding (Electric & Gas)	68	20.672
4	Electrical Maintenance	150	15.20
5	Refrigeration and Air conditioning	50	15.20
6	Wooden Beeds Handicraft	240	55.704
	Total	**708**	**197.976**

उपरोक्त अनुमोदित धनराशि में उत्तराखण्ड शासन स्तर पर योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 के अव्ययित अवशेष धनराशि रु0 58.378 लाख को घटाते हुए रु0 139.598 लाख उत्तराखण्ड शासन को अवमुक्त किया गया।

साथ ही यह प्रावधानित किया गया कि राज्य सरकार इस धनराशि को एक माह के अन्दर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करावें तथा धनराशि अनुमोदित योजना पर व्यय करते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के अन्दर अर्थात 31.03.2015 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित करें।

सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि भारत सरकार से बजट आवंटन के 09 माह उपरान्त इकाई ने अपने पत्र दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के माध्यम से आवंटित धनराशि अवमुक्त कराने के लिए उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया गया। तद्उपरान्त शासन के शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा धनराशि निदेशक, जनजाति कल्याण को अवमुक्त की गयी। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु निदेशक, जनजाति कल्याण की अध्यक्षता में **दिनांक 21.02.2015 को हुई बैठक के कार्यवृंत के बिन्दु 7 के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि चूॅकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति हेतु लगभग एक माह का समय अवशेष बचा है तथा भारत सरकार से प्राप्त धनराशि लैप्स न हो, इसलिए शासन से प्राप्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 देहरादून को उपलब्ध करा दी जाए, जो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशालय में प्रस्तुत मॉग के आधार पर निदेशक, जनजाति कल्याण के आदेशों के क्रम के चेक/बैंक ड्राफ्ट तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायेगा और निदेशालय द्वारा सम्बन्धित चेक अग्रसारण पत्र के साथ कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगा।** उपरोक्त निर्णय के अनुसार सम्बन्धित धनराशि का आहरण कर दिनांक 30 मार्च 2015 को अन्य कार्यालय बहुद्देशीय वित एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करा दिया गया।

आगे जॉच में पाया गया कि बिना किसी अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किये तथा बिना किसी टेण्डर प्रक्रिया को अपनाये सीधे कार्यदायी संस्था **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान** का चयन किया गया। प्रशिक्षण हेतु कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, जनजाति कल्याण के बीच दिनांक 26 फरवरी 2015 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। जिसमें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 708 प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष केवल 459 प्रशिक्षणार्थी को ही प्रशिक्षण दिया जाना सम्मिलित किया गया था। उपरोक्त स्वीकृति के क्रम संख्या 6 पर अंकित Wooden Bed Handicraft विषयक 240 प्रशिक्षणार्थी तथा क्रम संख्या 05 पर अंकित Refrigeration and Air Conditioning विषय के 09 लाभार्थी को सम्मिलित नहीं किया गया था। 459 विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त दिनांक 17.03.2016 तक कार्यदायी संस्था को धनराशि रु0 139.536 लाख का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त विवरणानुसार योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में निर्गत धनराशि के व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमन्य समय सीमा वर्ष 2014–15 तक इकाई द्वारा कोई भी धनराशि व्यय नहीं किया गया था तथा सभी व्यय वर्ष 2015–16 में किया गया। व्यय हेतु समय सीमा बढाने के लिए भारत सरकार से कोई अनुमोदन नहीं प्राप्त की गयी थी। योजनान्तर्गत पूर्व वर्षो के अवशेष धनराशि रु0 58.378 लाख के सम्बन्ध में इकाई द्वारा न तो उक्त धनराशि को योजना पर व्यय की गयी और न ही भारत सरकार को वर्तमान तक समर्पित की गयी।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वरीयताक्रम में स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुरुप ही भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 139.598 लाख की सीमान्तर्गत कुल 459 जनजातियों को लाभान्वित किया गया था। अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किये बिना कार्यदायी संस्था के चयन के सम्बन्ध में अवगत कराया कि चूँकि प्रस्ताव **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान** द्वारा तैयार किया गया था तथा अनुमोदित किया गया था इस कारण ही उसी कार्यदायी संस्था के माध्यम से कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित कराये गये। सम्बन्धित धनराशि के रख रखाव के लिए अन्य कार्यालय को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति हेतु लगभग एक माह का समय अवशेष होने तथा प्राप्त धनराशि के लैप्स न होने के दृष्टिगत उक्त धनराशि को उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित एवं विकास निगम लि0 के बैंक खाते में रखा गया था तथा कार्यदायी संस्था से प्राप्त बिलों के आधार पर निदेशालय स्तर से जारी आदेशों के क्रम में ही निगम द्वारा मात्र चेक तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराये गये थे जिनका निदेशालय स्तर से भुगतान किया गया था। उपरोक्तानुसार इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रु0 139.598 लाख को व्यय करने में वित्तीय एवं अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन किये बिना कार्यदायी संस्था का चयन करने तथा वित्तीय मानकों के विपरीत प्राप्त धनराशि को लैप्स होने से बचाने के लिए दूसरे विभाग को आवंटित कर रु0 139.598 लाख का अनियमित रुप से व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण **उच्चा धकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- कार्यदायी संस्थान को स्वीकृत आगणन से आ धक्य रू. 33.74 लाख का भुगतान कया जाना।

मुख्यमंत्री के घोषणा संख्या 88(28) 719 2014 के अनुपालन में देहरादून में बनाये जाने वाले **(State Tribal Research Cum-Cultural Central Museum)** जनजाति सांस्कृतिक मंच द्वारा सभी जनजातियों के संवर्धन और वकास का काम कये जाने का प्रावधान है। उक्त घोषणा के अनुपालन में निदेशक के पत्र संख्या 3976-77/ज जा क/मा दृमु धो/टी आर सी/2014-15 दिनांक 04 जनवरी 2015 में निदेशालय द्वारा दून वश्व वद्यालय परिसर में **(State Tribal Research Cum-Cultural Central Museum)** की स्थापना हेतु दून वश्व वद्यालय से प्रस्ताव मागा गया। दून वश्व वद्यालय के पत्रांक संख्या 110/X/24 फरवरी 2015 के अनुपालन में निम्न व्यय कये जाने का प्रस्ताव निदेशालय को प्रे षत कया था।

(अ) अवस्थापना हेतु	रू. 1185.00 लाख
(ब) अ धष्ठान हेतु	रू. 88.56 लाख
(स) शोध संस्थान की कार्ययोजना हेतु	रू. 200 लाख

कुल रू. 1474.00 लाख

निदेशालय के पत्रांक 4121/ज जा क/ टी आर सी/2014-15 दिनांक 18 फरवरी 2015 द्वारा शासन के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को उक्त प्रस्ताव प्रे षत कया गया था। जिसके सापेक्ष जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक 11015/16(25)/2014-SG दिनांक 28.03.2015 द्वारा सं वधान के अनुच्छेद-275 (1) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में उक्त कार्य के लए दून वश्व वद्यालय परिसर में (अवस्थापना हेतु रू. 1185.00 लाख स्टाफ हेतु रू. 88.56 लाख) रू. 1273.56 लाख शासन को आवंटन कया गया था। भारत सरकार के आवंटन पत्र के बिन्दु 07 में स्पष्ट प्रावधान था क **It may be ensured that the grants are used for the purpose for which they are sanctioned after following the due procedure in a transparent manner and obtaining all necessary clearances as required under the various Central/State Acts, Rules and Regulations etc.** शासन द्वारा (09/2015) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन वकास एवं निर्माण निगम देहरादून को कार्यदायी संस्थान ना मत कया गया है।

शासनादेश (मई/2016) के अनुसार उक्त कार्यदायी संस्थान, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन वकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत वस्तृत आगणन रू. 1204.82 के सापेक्ष रू. 1151.26 की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं प्रथम कश्त के रूप में रू. 166.67 लाख अवमुक्त कये गये थे। निदेशक जनजाति कल्याण वभाग उत्तराखण्ड एवं कुलस चव, दून वश्व वद्यालय, देहरादून के तथा (निर्माण एजेंसी का नाम) निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन वकास एवं निर्माण निगम देहरादून के मध्य जुलाई 2016 में एम ओ यू गठित कया गया जिसमें कार्य प्रारम्भ करने की ति थ 01.08.2016 एवं समाप्त होने की ति थ 31.03.2018 थी। वर्तमान (07/2017) तक 25 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कया जा चुका है।

निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था को निम्न धनरा श स्वीकृत की गयी। जिसका ववरण निम्न हैः-

क्र.सं.	माह	अवमुक्त धनरा श	कार्यदायी संस्था को आ धक्य भुगतान
1	05/2017	166.67	शासन द्वारा स्वीकृत धनरा श रू. 1151.26 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्थान को रू. 33.74 का आ धक्य भुगतान कया गया है।
2	07/2017	266.67	
3	07/2017	751.66	
योग		1185.00	

इस प्रकार उक्त ता लका के अनुसार सम्प्रेक्षा अव ध (जुलाई 2017) तक शासन द्वारा कार्य के प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृत रू. 1151.26 लाख के सापेक्ष रू. 1185 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी। इस प्रकार (रू. 1185-1151.26) रू. 33.74 लाख कार्यदायी संस्था को आ धक्य भुगतान कया गया। जांच में यह भी पाया गया क भारत सरकार द्वारा जो धनरा श **State Tribal Research Cum-Cultural Central Museum (RTI)** के स्टाफ मद के लए स्वीकृत धनरा श रू. 88.56 लाख थी, को व्यावर्तन कर (07/2017) को एकलव्य आदर्श आवासीय वद्यालय कालसी देहरादून को आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की गयी। जो क भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों अवहेलना है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क एकलव्य आदर्श आवासीय वद्यालय कालसी देहरादून में आयी दैवीय आपदा के कारण फर्नीचर कम्प्यूटर अन्य उपकरण एवं पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत धनरा श उपलब्ध करायी गयी तथा भारत सरकार से वद्यालय हेतु धनरा श जो क उपरान्त बैठक में अनुमोदित की गयी है। प्राप्त होने के उपरान्त संबं धत धनरा श **State Tribal Research Cum-Cultural Central Museum (RTI)** स्टाफ की व्यवस्था हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आ धक्य धनरा श अवमुक्त करने के संबंध में इं गत करने पर इकाई ने कहा क संस्थान के सौन्दर्यकरण Landscaping एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु कार्यदायी संस्था को आगणन गठित कर निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने के मौ खक निर्देश दिये गये है। कार्यदायी संस्था से प्राप्त प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति हेतु प्रे षत कया जायेगा तथा शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही अतिरिक्त आवंटित की गयी धनरा श को उपरोक्त कार्य में व्यय कया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्यों क भारत सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे क धनरा श स्वीकृत कार्य पर ही व्यय कया जायेगा। जब क निर्देशों के वपरीत **State Tribal Research Cum-Cultural Central Museum (RTI)** के स्टाफ मद के लए स्वीकृत धनरा श रू. 88.56 लाख थी, को व्यावर्तन कर (07/2017) को एकलव्य आदर्श आवासीय वद्यालय, कालसी देहरादून को आवर्तक अनुदान के रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को आगणन के सापेक्ष रू. 33.74 लाख का आ धक्य भुगतान इस प्रत्याशा में कया गया क कार्यदायी संस्था द्वारा संस्थान के सौन्दर्यकरण एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु नये कार्य का आगणन ग्राहक वभाग को प्रे षत कया जायेगा। जो क तर्कसंगत नहीं है।

अतः रू. 88.56 लाख धनरा श के व्यावर्तन करना तथा एवं कार्यदायी संस्थान को स्वीकृत आगणन से आ धक्य रू. 33.74 लाख का भुगतान कया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-3- अनुसूचित जनजाति उपयोजना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से सम्पूर्ण धनराशि रु0 4.00 करोड निर्गत होने के बावजूद भी योजना का कियान्वयन प्रारम्भ न किया जाना।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्य अनुदान प्रभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.01.2016 द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275–(1) के अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (बुक्सा एवं राजी) के संरक्षण एवं विकास की योजना में पूर्व वर्ष में स्वीकृत धनराशि रु0 400 लाख की सीमान्तर्गत प्रस्ताव मॉगा गया था। उक्त के क्रम में निदेशालय, जनजाति कल्याण द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा प्रस्तुत जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौडी, उधम सिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ में निवासरत 825 बुक्शा एवं राजी के व्यक्तियों को जैविक खेती, इलेक्ट्रिशियन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, पौली हाउस आदि से सम्बन्धित 03 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उसके संचालन हेतु रु0 400.00 लाख के प्रस्ताव दिनांक 24 फरवरी 2016 को उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया। उपरोक्त प्रस्तावों पर भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया;

(धनराशि रु0 लाख में)

Activities approved	Amount approved
Skill training for 825 beneficiaries	264.00
Setting Livelihood Business Incubator (LBI)	109.30
Operating expenses for running the LBI	26.70
Total	400.00

उपरोक्त योजना पर अनुमोदन प्रदान करते हुए वर्ष 2012–13 के उत्तराखण्ड शासन के पास अव्ययित पडी धनराशि रु0 107.52 लाख को घटाते हुए योजना के संचालन के लिए सम्पूर्ण धनराशि रु0 292.48 लाख निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से निर्गत की गयी;

(धनराशि रु0 लाख में)

पत्र संख्या	पत्र दिनांक	धनराशि
11022/13/2012-NGO	28.09.2016	86.00
11022/13/2012-NGO	28.09.2016	66.00
11022/13/2012-NGO	24.03.2017	140.48
Total		**292.48**

आवंटन पत्र में वर्णित प्रावधानों के अनुसार योजनान्तर्गत व्यय, मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरुप किया जाय तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्तीय नियम के फार्म 19–ए प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाय।

सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि निर्गत किये जाने के 10 माह पश्चात निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि को शासन से निर्गत किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जॉच में यह भी पाया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए वर्तमान तक कार्यदायी संस्था का चयन भी नहीं किया गया था। इस प्रकार से वित्तीय वर्ष 2016–17, जिसके लिए योजना स्वीकृत हुई थी, में योजना का प्रारम्भ भी नहीं किया गया था और न ही वर्तमान तक उक्त धनराशि को शासन स्तर से आवंटित किया गया तथा 825 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि शासन के निर्देश कि सम्बन्धित धनराशि का व्यय योजना के अनुमोदन के उपरान्त ही किया जाय, के क्रम में धनराशि वर्तमान तक आवंटित नहीं की गयी। निदेशालय के पत्र दिनांक 28 जुलाई 2017 के माध्यम से धनराशि के आवंटन के लिए अनुरोध किया गया है। यह भी अवगत कराया कि कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना पर अनुमोदन मार्च 2017 में प्रदान कर दी गयी थी उसके उपरान्त भी चार माह के अन्तराल के पश्चात धनराशि आवंटन के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था तथा कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित प्रस्ताव में ही बिना अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किये उक्त योजना का संचालन युवा कल्याण विभाग से क्रियान्वित किये जाने के लिए अनुमोदन मॉगी गयी है जो नियमानुकूल सही प्रतीत नहीं होता।

अतः अनुसूचित जनजाति उपयोजना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से सम्पूर्ण धनराशि रु0 4.00 करोड निर्गत होने के बावजूद भी योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर : 4- अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग/मेडिकल कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र / छात्राओ को लैपटॉप वितरण हेतु प्राप्त धनराशि 1 करोड़ का विगत 3 वर्ष से ब्यय न किया जाना तथा उस पर अर्जित ब्याज ₹ 11.38 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

कार्यालय निदेशक, उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण, देहरादून के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया है की अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग/मेडिकल कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र / छात्राओ को लैपटॉप वितरण हेतु शिक्षा विभाग से माह 03/2014 को धनराशि 1 करोड़ प्रेषित किया गया था | लेखापरीक्षा जाँच में यह देखा गया की इकाई द्वारा 2½ वर्ष के उपरांत भी धनराशि का उपयोग न होने की स्थिति में शासनादेश दिनांक 22-11-2016 के अनुसार सूचना प्रोद्योगिकी बिभाग के अंतर्गत आई. टी. डी. ए को नोडल एजेंसी नामित करते हुए उक्त धनराशि दिनांक 03-12-2016 को प्रेषित किया गया था।

जाँच में यह भी देखा गया की उक्त धनराशि को सुचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 25-05-2017 तक लैपटॉप वितरण मद में ब्यय नही किया गया। अर्थात शिक्षा विभाग द्वारा माह 03/2014 को आबंटित धनराशि माह 05/2017 तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु वितरित नही हो पाया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया की कार्यालय जनजाति कल्याण द्वारा संचालित नैनीताल बैंक खाते में विगत दो वर्ष से अधिक समय में ब्याज के रूप में धनराशि ₹ 11,37,500=00 प्राप्त हुआ है जो की नियमानुसार राजकोष में जमा कराना चाहिए था पर कार्यालय द्वारा नही किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर बिभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया की शीघ्र ही ब्याज में प्राप्त धनराशि राजकीय कोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

चूँकि उक्त धनराशि शिक्षा बिभाग द्वारा कार्यालय जनजाति कल्याण को लैपटॉप वितरण हेतु प्रेषित किया गया था एवं व्यय न होने की स्थिति में सुचना प्रोद्योगिकी विभाग को हस्तान्तोरित किया गया, अतः कार्यालय जनजाति कल्याण की यह जिम्मेदारी थी की बह इस सन्दर्भ में सुचना प्रोद्योगिकी बिभाग से सम्पर्क करे ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओ को योजना का लाभ मिले, जो की नही हो पाया।

अतः अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग/मेडिकल कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र / छात्राओ को लैपटॉप वितरण हेतु धनराशि 1 करोड़ का विगत 3 वर्ष से ब्यय न किया जाना तथा ब्याज में प्राप्त ₹ 11.38 लाख को राजकोष में जमा न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर : 1- उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत जनजातियों के बेस-लाइन सर्वे एवं बन गुजरो का नृ-जातीय सर्वेक्षण हेतु कुल ₹ 50.90 लाख के पूर्ण भुगतान के उपरांत भी विगत दो वर्ष में रिपोर्ट प्राप्त न होना

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं 81 दिनांक 13-01-2015 एवं सं 531 दिनांक 04-11-2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत जौनसार, भोटिया, थारू, बोक्सा एवं राजी जनजातियों के बेस-लाइन सर्वे हेतु एवं वन गुजरो का नृ-जातीय सर्वेक्षण हेतु क्रमश ₹ 40.50 लाख एवं ₹ 10.40 लाख आवंटन किया गया था। उपरोक्त दोनो सर्वेक्षण हेतु शासन द्वारा मानव विज्ञान विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को नामित किया गया था।

शासन के आदेशानुसार दोनो सर्वेक्षण हेतु बैंक ड्राफ्ट सं 431224 दिनांक 10-03-2015 के माध्यम से ₹ 40.50 लाख एवं अलोटमेंट आई. डी. संख्या 111511310668 दिनांक 18-11-2015 द्वारा ₹10.40 लाख मानव विज्ञान विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को अवमुक्त किया गया था साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था की धनराशि प्राप्त होने के 6 माह के भीतर सर्वेक्षण रिपोर्ट निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया की दो वर्ष (10-03-2015 से 30-06-2017) से भी अधिक समय व्यतित होने के पश्चात मानव विज्ञान विभाग, हे. न. ब. विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित सुचना उपलब्ध नही कराया गया -

1) जौनसारी, भोटिया एवं थारू की बेस लाइन सर्वेक्षण आख्या,

2) बन गुजरो का नृ-जातीय सर्वेक्षण आख्या,

3) ₹ 40.50 लाख एवं ₹ 10.40 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र ,

चुकी निदेशालय के द्वारा मानव विज्ञान विभाग, हे. न. ब. विश्वविद्यालय के साथ कोई प्रकार का अनुबंध नही किया गया था ताकि उपरोक्त समयबद्ध (Time Bound) कार्य यथा समय पूर्ण हो एवं सर्वेक्षण की रिपोर्ट शासन को अग्रेषित कराया जा सके, इस कारण पूर्ण भुगतान के उपरांत भी आतिथि तक रिपोर्ट उपलब्ध नही हो पाया ।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह बताया गया की विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग, हे. न. ब. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के साथ बैठ कर शीघ्र कार्य हेतु विचार विमर्श किया जायेगा।।

अतः धनराशि ₹ 50.90 लाख भुगतान के उपरांत भी विगत दो वर्ष से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है ।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
26	2011–12	01, 02	01, 02, 03	01
114	2012–13	01	01, 02	01
92	2015–16	01	01, 02	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के लिए वर्ष 2015–16 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी शेष अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

विभागान्तर्गत संचालित राजकीया आश्रम पद्धति बालक विद्यालय विडौरा एवं बालिका विद्यालय गूलरभोज उधम सिंह नगर का हाईस्कूल परीक्षा फल 2015 सर्वोत्तम रहने पर प्रधानाचार्य को राज्यपाल उत्तराखण्ड द्वारा सम्मानित किया गया।

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

( )

( )

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री किशन नाथ	निदेशक
2	श्री मनोज चन्द्रन	निदेशक
3	श्री बी0 आर0 टम्टा	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशालय, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा** L-216 **द्वतीय तल महालेखाकार भवन निकट होटल मैनेजमेंट इन्स्टीटयूट, कौलागढ़ देहरादून** को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र